न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 332/21

प्रार्थीगण :– 1. श्रीमती कदणोदेवी पत्नी मूराराम जाति कलबी निवासी गांव बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :– 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :– 1 श्री पंकल सांखला प्रार्थीगण वकील
2. सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांक :– 07.9.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1905/750 रकबा 29 बीघा 02 विस्वा ग्राम पोशल नगर पटवार हल्का असाडा तहसील पचपदरा में अवस्थित है।जिससे लगती हुई विप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 808/178 रकबा 04 विस्वा ग्राम बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा में आई हुई है । प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन व कृषि उपयोग हेतु विप्रार्थी की उक्त भूमि मे से होकर गुजरना एकमात्र विकल्प है, जो आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी तक दर्शाए अनुसार है। विप्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा उत्पन कर उसे अवरूद्व कर दिया जाता है । बरसात के मौसम में उक्त भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्व कर दिया जाता है । जिससे बरसात के मौसम में प्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु कृषि सयंत्र एवं ट्रेक्टर आदि अपने खेत में ले जाने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है । अतः प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दिये गये बिन्दु संख्या ए से बी के स्थान को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गयी। विप्रार्थीगण सरकारी पैरोकार उपस्थित । वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2068–71 एवं विप्रार्थीगण की भूमि जिसमें से रास्ते की मांग की गयी प्रस्तुत की। आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:04:49 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 808/178 रकबा 04 विस्वा में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता एक मात्र विकल्प है, जिसकी प्रार्थीगण को अत्यन्तिक आवश्यकता है। विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के आवागमन में अड़चने डालने पर प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडता है । अतः प्रार्थी आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी को गैरमुमकिन रास्तें के

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी

रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है । प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थीगण को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है । विप्रार्थीगण सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में भू अभिलेख निरीक्षक जसोल द्वारा पत्र कमांक/631 दिनांक 2.8.2022 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 16.8.2022 में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि ग्राम बुडीवाडा के खसरा संख्या 808/178 बिला कब्जा भूमि है । खसरा संख्या 808/178 की भूमि 0–04 बीघा है । खसरा संख्या 808/178 में 0–02 बीघा भूमि में पानी की होदी व पशु पेयजल खेली है । प्रार्थी द्वारा मांग की गई भूमि ए से बी लम्बाई में ज्यादा है। कम दूरी की जगह ग्राम असाडा की सीमा के खसरा संख्या 749 के सहारे डामर सडक तक ग्राम बुडीवाडा के खसरा संख्या 808/178 में 0–02 बीघा भूमि दिया जाना उचित रहेगा । नई प्रस्तावित भूमि मौक पर खाली है। किसी प्रकार का कच्चा / पक्का निर्माण नहीं है । प्रार्थी के ग्राम असाडा के खसरा संख्या 1905/750 में पहुचने हेतु इससे नजदीकी अन्य कोई जगह उचित नहीं है । चाहे गये प्रस्तावित रास्ते की डी0एल0सी दर 54338/– प्रति बीघा की दर से चाहे गये रास्ते की प्रस्तावित भूमि 0–02 बीघा है ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा भू0अभिलेख निरीक्षक जसोल द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी ग्राम पोशाल नगर पटवार हल्का असाडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1905/750 रकबा 29 बीघा 02 विस्वा भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, जिस पर उनका कब्जा काश्त है। प्रार्थी के खातेदारी खेत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी की उक्त भूमि अवस्थित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते से गुजरना पडता है । उक्त रास्ता विप्रार्थी द्वारा अवरूद्व किये जाने से प्रार्थी के सामने आवागमन की विकट समस्या खडी हो जाती है । भू.अ.नि जसोल की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अपरिहार्य आवश्यकता है । प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित भूमि का रकबा 0–02 बीघा है । विप्रार्थी की भूमि की डीएलसी दर 54338/– रूपये प्रति बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 10,870/– रूपये बनती है, जो प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को अदा की जानी है

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम पोशाल नगर पटवार हल्का असाडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1905/750 रकबा 29 बीघा 02 विस्वा से सडक तक आवागमन हेतु ग्राम बुडीवाडा के खसरा संख्या 808/178 रकबा 04 विस्वा में से, भू.अ.नि जसोल द्वारा दिनांक [illegible].202[illegible] को प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से [illegible] प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 10,870/– अदा करने, और उसके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं । तहसीलदार पचपदरा को तदनुसार खसरा संख्या 808/178 भूमि में से 0–02 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गैरमुमकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:04:49 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

भू.अ.नि जसोल द्वारा दिनांक 16.8.2022 को प्रेषित मौका फर्द में एवं प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:04:49 IST
Reason: SelfAttested